

17-7-19

आज बार द्वारा कार्य प्रक्रिया होने से तारीख पेश की गई है। आदेशों की पालना में दिनांक 23-7-19 को पेश हो।

[Signature]

जिला कलेक्टर, दोसा

23-7-19

अधिवक्ता डेप्युटी उपस्थित। अधिवक्ता प्राचीनग द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन जीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान श्री गोवर्धन लाल शर्मा का स्थानांतरण हो चुका है इसलिए विचाराधीन प्राचीन पत्र स्थानांतरण को आगे चलाये जाने का आदेश नहीं है। प्राचीन पत्र स्थानांतरण खारिज करमाया जावे। अधिवक्ता प्राचीनग द्वारा उक्त तब्य से सहमत होकर हुए कार्य कोपनि नहीं होगा व्यक्त किया गया।

प्रकरण में तत्कालीन जीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान श्री गोवर्धन लाल शर्मा का स्थानांतरण हो जाने से प्राचीन पत्र को आगे चलाया जाने का आदेश नहीं है। अधिवक्ता उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान में विचाराधीन मुद्दे नं-82/2018 उनका कमला आदि बनाम पुरारी आदि व मुद्दे नं-62/18 प्रकरण पर कार्य निषेधाज्ञा का अन्य जलपत्र न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु प्राचीनग द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्थानांतरण खारिज किया जा रहा है। निर्णय की प्रती अधीनस्थ न्यायालय को लिखवाइ जाके पत्रावली में लाल कुमार दोसर बांड मुक्ति प्रविष्ट देख गन्धार है। निर्णय कोपनि 23-7-19 का मुद्दे न्यायालय में पुनर्माया गया।



[Signature]
जिला कलेक्टर
दोसा